

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

न्यायालय


श्रीवादेकी

बनाम

आवाता कोरई

मुकदमा संख्या / वर्ष 106/2021

: प्राथमिक / 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	25-22	कोरोना वायरस के कारण वार एंजेलिया इंग्लैंड न्यायिक कार्य स्थगित रहने का कारण है अतः कोरई के मोरिस नामीन केका-काप्रा इंग्लैंड था रहे P.O. कोरई पत्र है गत अदालत की आज्ञा में दिनांक 24-3-22 को पेश हो
	24-3-22	<p style="text-align: center;"> <u>सीमा</u> प्रस्तुतकार उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राथमिक उपस्थित नहीं हुए प्राथमिक अदालत अधिकार को बर-बर्त अदालत दिलावापी गयी इन्की नरक निकले उपस्थित नहीं हुआ अतः प्राथमिक अदालत अदालत अदालत को खाली किया जाता है पत्रावली केवल शुभ होकर वापिस दफ्तर में आता है कम होके</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) </p>